प्रेस नोट

थाना- एरच, जनपद- झांसी

दिनांकः- 12.09.2026

थाना एरच पुलिस द्वारा विभिन्न् अभियोगों से संबंधित अवैध असलाहों को नष्ट किया गया-

संक्षिप्त विवरणः- थाना एरच के मालखानें में पुराने दाखिल मुकदमों में आयुध अधिनियम से सम्बन्धित मालों/अवैध असलाहों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) । ए०सी० जे०एम० गरौठा, झाँसी से याचना की गयी थी। माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2000 से 2011 तक के आयुध अधिनियम से सम्बन्धित 11 अभियोगों से 11 बरामद अवैध असलाह को नष्ट करने हेतु आदेश प्रदान किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुपालन में आज दिनाँक 12.09.2026 को थाना हाजा के मालखानें में दाखिल आयुध अधिनियम के 11 अभियोगों से सम्बन्धित 11 असलाह (07 तमंचा व 04 छुरी) को नियमानुसार वीडियोग्राफी व पंचनामा करते हुये क्षेत्राधिकारी गरौठा श्री पीयूष कुमार पाण्डेय व तहसीलदार बामौर क्षेत्र गरौठा श्री अमन कुमार नायब प्रभारी निरीक्षक थाना एरच श्री सुरजीत सिंह व हे0मु0 58 अखिलेश कुमार (मालखाना इंचार्ज) तथा थाना स्थानीय पर मौजूद अन्य पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में लोहार से अवैध शस्त्रो को पीटकर नष्ट किया गया जिसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी।

विनिष्ट किये गये मालों का विवरणः-

11 आयुध अधिनियमो से सम्बन्धित अभियोग से बरामद 11 अवैध असलाह

विनिष्टीकरण के दौरान उपस्थित टीम का विवरणः-

1. पीयूष कुमार पाण्डेय क्षेत्राधिकारी गरौठा जनपद झाँसी
2. श्री अमन कुमार नायब तहसीलदार बामौर क्षेत्र गरौठा जनपद झाँसी
3. श्री सुरजीत सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना एरच झांसी
4. हे0मु0 58 अखिलेश कुमार (मालखाना इंचार्ज)